12/2019

शारदा / अब्दुल वाहिद

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज धारा - 53/88 RTA	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
5/26 वकील वादीगण उपस्थित। वादीगण ने जरिये वकील प्रार्थना-पत्र बाबत वाद-पत्र डिक्री फरमाये जाने बाबत पेश कर प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया। उनके निवेदन पर उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। वकील वादीगण ने प्रार्थना-पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में गाँव के मौतबिरान व्यक्तियों की समझाईश से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है एवं पक्षकारान के मध्य अब किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा है इसलिए वादीगण वाद आगे चलाना नहीं चाहते हैं एवं वाद पत्र को इसी स्तर पर डिक्री करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए वाद पत्र को इसी स्तर पर अदम डिक्री निरस्त करने के कथनों की पुष्टि में वादीगण आदेशिका फरमायें / कथन हस्ताक्षर अंकित किये। आदेशिका पर कथन हस्ताक्षर के वादीगण को उनके वकील श्री एजाज अहमद ने पहचान कर आदेशिका पर कथन हस्ताक्षर किया। उक्त प्रार्थना-पत्र में वर्णित कथनों व सुनवाई के दौरान रखे गये कथनों / तथ्यों पर मनन किया एवं रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो चुका है एवं वे अब वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। प्रस्तुत वाद में किसी अनुतोष की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थना-पत्र वादीगण का स्वीकार किया जाकर वाद इसी स्तर पर अदम पैरवी डिक्री किये जाने से निरस्त किया जाता है। प्रार्थना-पत्र तथा फैसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संग्रहागार हो। सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर	26/5/21 हाजरा 26/05/2021